रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एस० एस० 14.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 14 मार्च, 1989/23 फाल्गुन, 1910

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-171002, 13 फरवरी, 1989

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0ए0 (5) 42/77.—क्योंकि श्री सोहन लाल, प्रधान, ग्राम पंचायत मायली, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सामने आए हैं।

यह कि उन्होंने पंचायत निधि के उपयोग व रिकार्ड साधारण में अनियमितता बरती व कई बार राशि प्राप्त करने/निकालन के बाद उसका इन्द्राज कैश बुक में कई दिनों के अन्तर के बाद किया व निम्नलिखित दशाओं में बिना

पंचायत की स्वीकृति के राशियां निकालने व काफी अन्तराल के पश्चात् उन्हें वितरित किया अथवा जमा करवाया।

क्रम संख्या	राशी निकालन की की तिथि	कैश बुक में इन्द्राज की तिथि	राशि	वितरण की तिथि	दिनांक प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6
1.	18-8-1981	18-8-1981	500	19-8-1981 व 31-8-1981	—
2.	24-12-1981	31-8-1982	400	21-10-81	—
3.	13-7-1983	5-9-1983	1000	10-1-1894 को बैंक में जमा किया	प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 22-9-1983 जमा
4.	19-11-1984	19-11-1984	1566	23-11-1984 25-11-1984 को डाकघर में जमा किये।	—
5.	24-12-1985	1-1-1986	2238	—	19-12-1985 के प्रस्ताव द्वारा।
6.	16-8-1986	16-8-1986	7000	19-8-1986	19-7-1986 प्रस्ताव संख्या 7।
7.	1-10-1986	20-10-1986	8000	20-10-1986 से 11-11-1986	प्रस्ताव संख्या 5, दिनांक 19-9-1986।
8.	28-10-1986	14-11-1986	3000	19-12-1986	प्रस्ताव संख्या 4, दिनांक 20-10-1986।
9.	8-12-1986	19-12-1986	3500	20-12-1986	प्रस्ताव संख्या 7, दिनांक 19-11-1986।
10.	21-1-1987	28-2-1987	24035	15-1-1987 से 7-3-1987	प्रस्ताव संख्या 5, दिनांक 19-1-1987।
11.	23-4-1987	27-5-1987	7000	4-5-1987	—

यह की श्री सोहन लाल, प्रधान ने दिनांक 25-3-1984 को श्री कली राम जे0 बी0 टी0 अध्यापक के स्थानान्तरण के सन्दर्भ में प्रस्ताव ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तक में दर्ज किया जो कि अलग स्याही से लिखा गया है। उनका यह कृत्य स्पष्ट करता है कि वह कार्यवाही पुस्तक में खाली स्थान छोड़कर बाद में प्रस्ताव भरने के दोषी हैं।

यह कि श्री सोहन लाल, प्रधान ने श्री भगत राम की वसीयत दिनांक 30-8-1982 को प्रमाणित की जबकि परिवार रजिस्ट्रार अनुसार श्री भगतराम का देहान्त 4-12-1981 को हो गया था।

यह कि श्री सोहन लाल प्रधान ने श्री हरि दास व टेक चन्द को श्री तुलसी राम उप-प्रधान के हस्ताक्षरों से स्वयं आमदन का प्रमाण-पत्र जारी किया।

यह कि श्री सोहन लाल को इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 12 अक्तूबर 1988 को निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस दिया गया उनका उत्तर विभाग द्वारा आंकने के पश्चात् असन्तोषजनक पाया गया।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत श्री सोहन लाल, प्रधान, ग्राम पंचायत मायली, विकास खण्ड कसुम्पटी सुन्नी, जिला शिमला को उनके पद से तुरन्त निलम्बित करन तथा जिला पंचायत अधिकारी, शिमला को उपरोक्त तथ्यों की वास्तविकता जानन के लिए जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं, वह अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधीश शिमला के माध्यम से तुरन्त इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

प्रधान श्री सोहन लाल को यह भी आदेश दिए जाते हैं कि वह अपना कार्यभार उप-प्रधान, ग्राम पंचायत मायली तथा चार्ज सचिव, ग्राम पंचायत मायली को तुरन्त सौंप देंगे।

शिमला-171002, 13 फरवरी, 1989

संख्या पी0सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 3।88:—क्योंकि श्री लक्ष्मण दास, प्रधान, ग्राम पंचायत भरमौर, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा को इस कार्यालय के समसंख्यांक आदेश, दिनांक 6 दिसम्बर, 1988 द्वारा निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस निम्न आरोपों के दृष्टिगत दिया गया था।

कि श्री लक्ष्मण, दास प्रधान, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 13 (जिसके अन्तर्गत हर माह में एक बार पंचायत बैठक का होना अनिवार्य है) की उलंघना के दोषी पाये गए हैं क्योंकि 4/87 व 11/88 के बीच केवल तीन बैठकें हुई हैं। नियमित रूप से बैठकों का करवाना प्रधान का कर्त्तव्य है जिसे नहीं किया गया।

4/87 से 11/88 के बीच कोई भी ग्राम सभा की बैठक नहीं हुई जिस कारण प्रधान श्री लक्ष्मण दास हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 6 की उल्लंघना के दोषी है फलस्वरूप ग्राम सभा के बिना अनुमति तथा बजट पास हुए बगैर जो भी खर्चा हुआ है वह अनियमित है।

अप्रैल, 87 से नवम्बर, 88 की अवधि में केवल अप्रैल तथा मई, 1988 में किए गए व्यय द्वारा पंचायत द्वारा पारित है अन्य कोई व्यय पंचायत द्वारा पारित नहीं तथा इस कारण अनियमित है यह स्पष्ट है कि श्री लक्ष्मण दास हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) वित्त, बजट, लेखा नियमावली, 1975 के नियम 6 की उलंघना के दोषी है।

यह कि भरमौर में बना पंचायत का विश्राम गृह घाटे में चल रह है। जिस तथ्य से पंचायत को कभी भी अवगत नहीं किया गया तथा न ही इस विश्राम गृह को पंचायत लाभकारी आय श्रोत बनाने बारा कोई कदम उठाये गये हैं। यह स्थिती उक्त प्रधान के गैर जिमादारी का प्रतीक है।

यह कि शिक्षा विभाग के मलकौता में स्थित प्राथमिक पाठशाला भवन को विभाग की अनुमति लिये बगैर गिराना, भवन को गिराते समय प्राप्त सामग्री की सूची तैयार न करना तथा बाकि बची सामग्री को बेचकर इससे प्राप्त धनराशि को सरकारी खजाने में जमा न करवाना पंचायत की गैर जिम्मेदाराना प्रवृति का सूचक है उक्त प्रधान का यह कर्त्तव्य था कि वह ऐसा गलत कार्य पंचायत को न करने देते परन्तु प्रधान ने अपना कर्त्तव्य नहीं निभाया

यह कि उपरोक्त लगाये गए आरोपों के कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रधान द्वारा लगभग दो माह का समय व्यतीत होने के बावजूद भी हीं दिया गया।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत श्री लक्ष्मण दास, प्रधान, ग्राम पंचायत भरमौर को वहां तुरन्त उनके पद से निलम्बित करते हैं। वहां उपमण्डलाधिकारी भरमौर को जांच

अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं। वह अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधीईश चम्बा के माध्यम से दो माह के अन्दर-अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करेंगें श्री लक्ष्मण दास, प्रधान अपना कार्यभार तुरन्त उप-प्रधान को तथा चार्ज सचिव ग्राम पंचायत भरमौर को सौंप देंगे।

शिमला-171002, 14 फरवरी, 1989

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 274/76.—क्योंकि जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा द्वारा की गई प्रारम्भिक जांच के फलस्वरूप श्री रघुवीर सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत रजियाणा (53 मील) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) वित्त, बजट, लेखा अंकेक्षण कराधान सेवा एवं भत्ता नियम 1975 के अन्तर्गत निम्नलिखित वित्तीय अनियमितताओं में संलिप्त लगते हैं।

1. उक्त श्री रघुवीर सिंह ने 4/86 से 17-11-87 तक पंचायत निधि से मु0 7193.25 रुपये की धनराशि अनाधिकृत रूप से अपने पास रखी।

2. उक्त श्री रघुवीर सिंह ने 14-7-87 को ———— की निलामी बिना औपचारिकता पूर्ण किए की तथा उससे प्राप्त मु0 925/– रुपये की राशि का दुरुपयोग किया।

3. कि उक्त श्री रघुवीर सिंह ने 2/87 में 1864.37 रुपये की राशि बैंक में से ग्राम पंचायत के खाते से निकाल कर स्वंय उसका प्रयोग किया।

4. उक्त श्री रघुवीर सिंह ने 10/86 से श्री अनिरुद्ध से पंचायत के मकान का 125/– रुपये मासिक किराया न लेकर पंचायत को वितीय क्षति पहुंचाई।

और क्योंकि उपरोक्त आरोपों की वास्तविकता जाननें के लिए जांचका करवाया जाना आवश्यक है।

अत: राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत उपमण्डलाधिकारी (ना0) कांगड़ा को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं। वह अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधीश कांगड़ा के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करें।

हस्ताक्षरित/–
अवर सचिव।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 14 फरवरी, 1989

संख्या एफ0 डी0 एस0 ए0 (3)-8/84.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश व्यापारिक वस्तुएं (अनुज्ञापन) और नियन्त्रण आदेश, 1981 की धारा 23 (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश सतर्कता विभाग क प्रवर्त्तन खण्ड में कार्यरत निरीक्षक को उक्त आदेश 23 के उप खण्ड (1) के पैरा (ए) से (ई) तक उल्लिखित सभी शक्तियों का सारे हिमाचल प्रदेश में प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करते हैं:—

आदेश द्वारा,
एस0 एस0 सिद्धु
आयुक्त एवं सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित